

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): Anti Corruption Bureau, Haryana P.S. (थाना): ACB, Ambala Year (वर्ष): 2021

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0006

Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):

24/06/2021 16:05 hrs

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): Date from (दिनांक से): Date To (दिनांक तक):

Time Period (समय अवधि): Time From (समय से): Time To (समय तक):

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 24/06/2021 Time (समय): 14:05 hrs

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 004 Date and Time (दिनांक और समय): 24/06/2021 16:05 hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence

(घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): EAST, 45 Km(s) Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): नारायणगढ़, नारायणगढ़ जिला अम्बाला

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम): NARAINGARH

District (State) (जिला (राज्य)): AMBALA (HARYANA)

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): लखविन्द्र कौर

(b) Husband's Name (पति का नाम): अशोक कुमार

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1976

(d) Nationality (राष्ट्रियता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g)

ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)
------------------	--------------------------------	--------------------------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address
(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	गदौली, नारायणगढ़, NARAINGARH, AMBALA, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	गदौली, नारायणगढ़, NARAINGARH, AMBALA, HARYANA, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.):

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	ललीत कुमार हल्का पटवारी गदौली			1. हल्का पटवारी गदौली, नारायणगढ़, NARAINGARH, AMBALA, HARYANA, INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य (रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी. प्रकरण सं.)
------------------	---------------------------------

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

श्री मान जी, नकल लेख निम्न प्रकार से है- सेवा मे, श्री मान, डी.एस.पी. विजिलेंस अम्बाला। सविनय निवेदन है कि मैं लखविन्द्र कौर पत्नी श्री अशोक कुमार वासी गांव गदौली तह. नारायणगढ़ जिला अम्बाला की रहने वाली हूं। मेरे पति अशोक कुमार व उनके तीन भाई और भी है। मेरे पति के पिता जी के पास पैतृक कुल 72 एकड़ जमीन है। जो कि पांच जगह अलग-अलग स्थानों पर है। चारों भाईयों के हिस्से मे 18-18 एकड़ जमीन आई हुई है यह हमारी सारी जमीन मुस्तरका खाते मे है। जब नई जमाबन्दी आई तो उस जमाबन्दी तो उस जमाबन्दी में एक जगह की जमीन मे मेरे पति अशोक कुमार का नाम नही आया तो मैं और मेरे पति हल्का पटवारी गदौली श्री ललीत कुमार के पास गये

तो उसने बताया कि आपकी यह जमीन गलती से आपके भतिजे विरेन्द्र के नाम चढ़ गई है। तो श्री ललीत कुमार पटवारी हमसे बोला कि मैं इस जमीन की फर्द में आपके पति अशोक कुमार का नाम चढ़ा दूंगा। लेकिन इसके बदले में आपसे अलग से पैसे लगेगे फिर बाद में हमने RTI के माध्यम से तहसीलदार नारायणगढ़ से अपनी जमीन की फर्द मांगी तहसीलदार साहब नारायणगढ़ ने हमारी RTI हल्का पटवारी गदौली श्री ललीत कुमार की अगली कार्यवाही के लिये मार्क कर दी उसके बाद हम हल्का पटवारी ललीत कुमार को नारायणगढ़ तहसील में जाकर मिले तो उसने फिर यही बात कही कि पैसे तो देने ही पड़ेंगे तभी आपका काम होगा। इसी दौरान मेरे जेठ के लड़के विरेन्द्र ने मेरे पति को जो जमीन वर्ष 2014 में 1/1-2 लाख रु में रहन कर रखी थी अब मेरा भतिजा विरेन्द्र अपनी दो एकड़ जमीन बेच रहा है। जिसमें एक एकड़ जमीन रहन वाली भी शामिल है। रहन वाली जमीन के सम्बन्ध में हमने नारायणगढ़ अदालत में केस करके उस जमीन पर स्टे ले रखी है। जसके सम्बन्ध में हमने दिनांक 17.06.2021 को एक दरखास्त तहसीलदार नारायणगढ़ को दे रखी है हम तहसीलदार साहब के पास इसी सम्बन्ध में पेश हुये। हमें जवाब मिला कि मैंने आपकी दरखास्त व उसके साथ लगे हुये स्टे आर्डर आगे की कार्यवाही के लिये आपके हल्का पटवारी को मार्क करके भेज दिये हैं। आप ललीत कुमार पटवारी से जाकर मिलें। तब हम पटवारी ललीत कुमार को मिले ललीत कुमार पटवारी ने हमें कहा कि काम तो आपके मैंने ही करना है। मैं आपके स्टे आर्डर, फर्द में चढ़ाने व आपकी जमीन की फर्दों की नकलें दे दूंगा इसके बदले में आपको पैसे तो देने ही पड़ेंगे और आपकी नई जमाबन्दी में आपके पति अशोक कुमार का नाम चढ़ाने के बाद आपकी जमीन की फर्दों की नकलें भी आपको दे दूंगा इसके बदले में आपको पैसे तो देने ही होंगे। उसके बाद दो,तीन दिन बाद मैंने अपने मोबाईल से ललीत कुमार पटवारी के मोबाईल पर फोन किया जिसका मो.न. 8901002424 है। जिसने फोन पर मुझ से यह कार्य करने के लिये 25 हजार रुपये की रिश्त की मांग की और 5 हजार रुपये पहले देने के लिये कहा और बाकि बचे 20 हजार रुपये दिनांक 30.06.2021 को देने के लिये कहा इन सारी बातों की रिकार्डिंग मैंने अपने फोन में रिकार्ड कर रखी है मैं यह रिश्त की राशि श्री ललीत कुमार पटवारी को देना नहीं चाहती कृपया ललीत कुमार पटवारी को रंगे हाथ पकड़ कर उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाये मैं अपनी लिखित दरखास्त के साथ 500/500 रुपये के 10 नोट कुल 5 हजार रुपये व ललीत कुमार पटवारी के साथ हुई बातचीत की रिकार्डिंग C.D आपको पेश कर रही हूँ। sd लखविन्द्र कौर पत्नी श्री अशोक कुमार वासी गांव गदौली तहसील नारायणगढ़ जिला अम्बाला (M) 9813288319. कार्यवाही पुलिस – आज मन उप पुलिस अधीक्षक स्टाफ सहित जांच क्रमांक 13/2018 अम्बाला के सम्बन्ध में हाजिर नारायणगढ़ हूँ कि श्री मति लखविन्द्र कौर पत्नी श्री अशोक कुमार वासी गांव गदौली तहसील नारायणगढ़ जिला अम्बाला का मेरे फोन पर फोन आया जिसने बतलाया कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ मैंने श्री मति लखविन्द्र कौर को बतलाया कि मैं नारायणगढ़ बस स्टैंड के पास खड़ा हूँ आप मुझसे यहाँ आकर मिल सकते हो। जिस पर श्री मति लखविन्द्र कुमार उपरोक्त ने मुझसे मिलकर एक लिखित दरखास्त मय रिकार्डिंग C.D मेरे सम्मुख पेश की उपरोक्त दरखास्त से श्री ललीत कुमार हल्का पटवारी गदौली तहसील नारायणगढ़ जिला अम्बाला के विरुद्ध धारा 7 Pc Act 1988 का होना पाया गया जिस पर अभियोग अंकित करने के लिये तहरीर लिख कर बादस्त सिपाही कृष्ण कुमार न. 226/कुरुक्षेत्र के सेवा में प्रबन्धक थाना रा.चौ.ब्यूरो अम्बाला भेजी जा रही है। अभियोग अंकित करके अभियोग न0 से सूचित किया जावे। मन उप पुलिस अधीक्षक मय HC अशोक कुमार न. 645/Ambala, HC बीरबल 1080/KNL, सिपाही नवीन कुमार 5/804 कम्प्युटर आपरेटर के वा सवारी गाडी सरकारी न0 HR03Z-1826 जिसका चालक EHC हरनैक सिंह 568/अम्बाला के शिकायत कर्ता श्री मति लखविन्द्र कौर उपरोक्त को साथ लेकर बराये लेने अनुमति रेड रवाना कार्यालय उपायुक्त अम्बाला का होता हूँ। तफतीशी बैग व लैपटाप साथ हैं। बाद कायमी मुकदमा प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब व अफसरान बाला की सेवा में तथा नकल मिसल पुलिस मय असल लेख मौका पर भिजवाया जाये। अज: नारायणगढ़। sd Om Parkash उप पुलिस अधीक्षक राज्य चौकसी ब्यूरो अम्बाला मण्डल, अम्बाला दिनांक 24.06.2021 at 2:50 pm. लिखित लेख उपरोक्त बाजूम उपरोक्त बादस्त बादस्त सिपाही कृष्ण कुमार न. 226/कुरुक्षेत्र के थाना में प्राप्त होने पर मुकदमा न. 06 दिनांक 24.06.2021 धारा 7 PC ACT 1988 थाना राज्य चौकसी ब्यूरो अम्बाला दर्ज रजिस्टर किया जाकर मुकदमा हजा की स्पेशल रिपोर्ट व नकल मिशल पुलिस मय असल लेख आने वाले सिपाही कृष्ण कुमार न. 226/कुरुक्षेत्र के हवाले करके रवाना इयुटि मैजिस्ट्रेट अम्बाला व निजद अनुसंधानकर्ता का किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट की अन्य प्रतियां उच्चाधिकारीगण की सेवा में बजरिया डाक भेजी जाएगी। इन्द्राज रिकार्ड थाना विधिनुसार किया गया।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): O P ARORA (Dy. SP (Deputy Superintendant of Police))/DSP or (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Rank (पद):

No. (सं.): to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

Name (नाम): O P ARORA

Rank (पद): Dy. SP (Deputy Superintendant of Police)

No. (सं.): DSP

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Error: Subreport could not be shown.

